THE CONSTITUTION OF INDIA

WE, THE PEOPLE OF INDIA, having solemnly resolved to constitute India into a SOVEREIGN DEMOCRATIC REPUBLIC and to secure to all its citizens:

JUSTICE, social, economic and political;

LIBERTY of thought, expression, belief, faith and worship;

EQUALITY of status and of opportunity;

and to promote among them all

FRATERNITY assuring the dignity of the individual and the unity of the Nation;

IN OUR CONSTITUENT ASSEMBLY this twenty-sixth day of November, 1949, do HEREBY ADOPT, ENACT AND GIVE TO OURSELVES THIS CONSTITUTION.

Part XVII

Official Language

Chapter I—Language of the Union

Official language of the Union

343. (1) The official language of the Union shall be Hindi in Devanagari script.

The form of numerals to be used for the official purposes of the Union shall be the international form of Indian numerals.

(2) Notwithstanding anything in clause (1), for a period of fifteen years from the commencement of this Constitution, the English language shall continue to be used for all the official purposes of the Union for which it was being used immediately before such commencement.

Provided that the President may, during the said period, by order authorise the use of the Hindi language in addition to the English language and of the Devanagari form of numerals in addition to the international form of Indian numerals for any of the official purposes of the Union.

(3) Notwithstanding anything in this article, Parliament may by law provide for the use, after the said period of fifteen years, of—

(a) the English language, or

(b) the Devanagari form of numerals,

for such purposes as may be specified in the law.

Commission and Committee of Parliament on official language

344. (1) The President shall, at the expiration of five years from the commencement of this Constitution and thereafter at the expiration of ten years from such commencement, by order constitute a Commission which shall consist of a Chairman and such other members representing the different languages specified in the

भारतीय संविधान और हिंदी

स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान चूंकि हिंदी राष्ट्रीय चेतना की भाषा बनकर उभरी थी अतः स्वतंत्रता के बाद उसे राजभाषा का सम्मान प्राप्त हुआ।

इस खंड में सरकारी दस्तावेज़ों, समसामयिक पत्र-पत्रिकाओं, रिपोर्टों व छायाचित्रों आदि के माध्यम से भारत के संविधान व प्रशासन में राजभाषा के रूप में हिंदी को अपनाए जाने की कथा प्रस्तुत की गई है। साथ ही राजभाषा के कार्यान्वयन से संबंधित तथ्यों की जानकारी को भी जनसाधारण तक पहुँचाने की चेष्टा की गई है। संविधान सभा में हिंदी को राजभाषा बनाए जाने की बहस के अंश, पं० सुन्दर लाल द्वारा संविधान का अनुवाद तथा राजभाषा के संबंध में समय-समय पर लिए गए महत्वपूर्ण निर्णय आदि इस खंड के प्रमुख आकर्षण हैं।

प्रस्तावना.

हम, भारत के लोक, भारत को एक सम्पूर्ण सत्ताधारी प्रजा तन्त्रात्मक गणराज्य निर्माण करने तथा उसके समस्त जानपदों को :

न्याय,-सामाजिक, आर्थिक और राजनैतिक;

स्वतंत्रता - विचार की, अभिव्यक्ति की, विश्वास की, धर्म की, और उपासना की;

समता - प्रास्थिति की और अवसर की;

प्राप्त कराने,

तथा उन सब में,

बंधुता, जिससे व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता सुनिश्चित हो,

वर्धन करने,

के हेतु, कृतदृढसंकल्प, अपनी इस संविधान सभा में इस ~~तिथि~~ पर, एतद्द्वारा इस संविधान को अंगीकार करते हैं, अधिनियम का रूप देते हैं, और अपने आपको ~~इसे~~ अर्पण करते हैं।

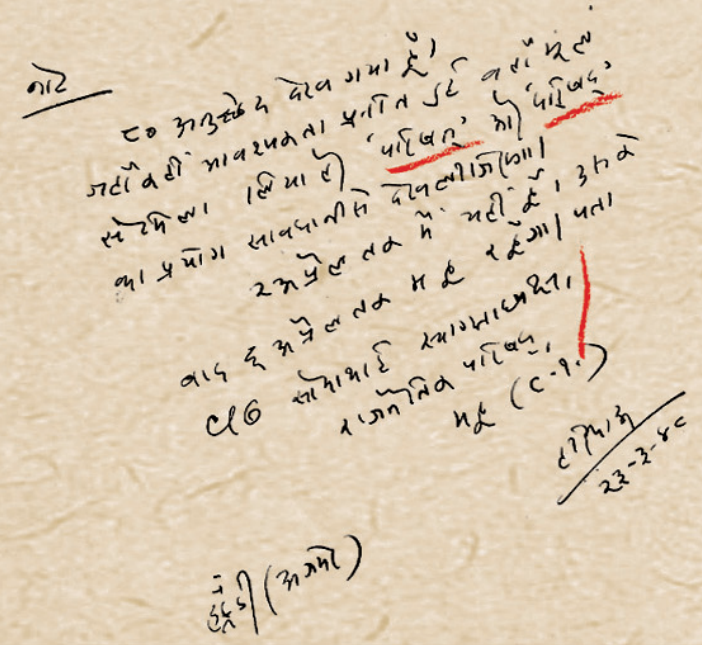

संविधान की प्रस्तावना के अनुवाद का प्रारूप

The Hindi draft translation of the Preamble to the Constitution.

DR. RAJENDRA PRASAD

First President of the Indian Republic

Rajendra Prasad
26 January, 1950

माननीय डा० राजेन्द्र प्रसाद,
प्रेसीडेंट हिन्द विधान सभा,
नई दिल्ली।

1-हि/48
10.10.48 116
28

श्रीमान्,

आपकी इजाजत से ड्राफ्ट कांस्टीट्यूशन आफ़ इंडिया का यह हिन्दुस्तानी अनुवाद मैं बडे अदब के साथ आपकी सेवा में पेश करता हूँ।

मेरा फर्ज है कि इस अनुवाद का थोडा इतिहास पाठकों और खास कर विधान सभा के मेम्बरों की जानकारी के लिये यहाँ दे दूँ।

महात्मा गांधी के स्वर्गवास के कुछ दिन पहले ओरियन्टल कॉलेज लाहौर के डा० सूर्यकान्त एम० ए०, पी० एच० डी० महात्मा गांधी से मिलने आये। उन्होंने गांधी जी से दो बातें कहीं, एक यह कि विधान के मसौदे का अनुवाद हिन्दी और उर्दू में दो कमेटियाँ अलग अलग कर रही हैं, और दूसरी यह कि हिन्दी अनुवाद जिस बोली में हो रहा है वह न बोलचाल की भाषा है और न अब तक के साहित्य की हिन्दी। गांधी जी को यह दोनों बातें सुन कर दुःख हुआ, क्योंकि एक मिली जुली और चालू हिन्दुस्तानी भाषा को सारे हिन्द की राष्ट्र भाषा का स्थान देना उनके जीवन के मुख्य उद्देश्यों में से था। उन्होंने मुझे आज्ञा दी कि मैं इस बारे में आपसे मिलूं, हिन्दी अनुवाद करने वालों और उर्दू अनुवाद करने वालों से भी मिलूं, और दो अलग अलग अनुवादों की जगह एक मिले जुले हिन्दुस्तानी अनुवाद की कोशिश करूं। गांधी जी ने मुझसे यह भी कहा कि हिन्दी अनुवाद करने वालों या उर्दू अनुवाद करने वालों दोनों में से जो भी अपना अनुवाद मिली जुली चालू भाषा में कर सके उसी के अनुवाद को गांधी जी विधान सभा के मेम्बरों और देशवासियों से अपनाने की अपील करेंगे। उन्होंने यह भी मुझे आज्ञा दी कि अगर यह न हो सके तो मैं खुद आपकी इजाजत से विधान के मसौदे का मिली जुली आमफहम हिन्दुस्तानी में अनुवाद करा कर आपकी भेंट करूं। मैंने तुरन्त आपसे मिलना चाहा। आप वरधा चले गये थे। गांधी जी ने इस पर एक रजिस्ट्री खत मुझ से लिखा कर आपके नाम वर्धा भिजवाया। इतने में गांधी जी चल दिये। आप दिल्ली आये और मेरी आपकी बातचीत हुई। आपकी इजाजत से और आपके उत्साह दिलाने पर मैंने हिन्दुस्तानी अनुवाद का काम अपने हाथ में लिया।

अनुवाद में सबसे जियादा मदद डा० सूर्यकान्त से और आल इंडिया रेडियो के डा० यदुवंशी एम० ए०, पी० एच० डी० से मिली। यह अनुवाद एक तरह इन्हीं दो विद्वानों

इस सारे अनुवाद में कम ही फारसी या अरबी के ऐसे शब्द निकल सकेंगे जो हिन्दी शब्द सागर में न हों और दस पांच शब्दों को छोड कर कम ही ऐसे हिन्दी या संस्कृत शब्द मिलेंगे जिन्हें उर्दू वाले न समझ सकें। इतने शब्द तो हिन्दी और उर्दू वालों को एक दूसरे के जानने ही चाहियें। इस लिए हमारी यह प्रार्थना है कि विधान के पास हो जाने पर दो अलग अलग हिन्दी और उर्दू अनुवादों की जगह एक ही आसान और मिला जुला हिन्दुस्तानी अनुवाद देश के सामने रखा जाय। मैं भरोसा है कि आपके विधान सभा में प्रधान के ओहदे पर रहते हुए देश की यह जरूरत, राष्ट्रीय कांग्रेस का देश से यह वादा और महात्मा गांधी के जीवन का यह बडा मकसद पूरा होगा।

आपकी आज्ञा से यह हिन्दुस्तानी अनुवाद दोनों लिखावटों में छप कर विधान सभा के सब मेम्बरों और जनता के हाथों में जा रहा है। राष्ट्र भाषा हिन्दुस्तानी के लिए आपका प्रेम और उत्साह हमारे आभार मानने का मोहताज नहीं। पर इस खत को बन्द करने से पहले यह बता देना हमारा फर्ज है कि आपके विधान सभा के दफ्तर के डिप्टी सैक्रेटरी श्री जुगल किशोर जी खन्ना और छपाई विभाग के श्री जी० पी० आनन्द और उनके साथीयों ने हमें इसकी तैयारी, प्रूफ पढने और छपाई में जितनी मेहनत लगन और तनदेही से मदद दी है उसके बिना इस थोडे से समय में इस अनुवाद का छप कर निकल सकना नामुमकिन होता। इसलिए हम उनके दिल से आभारी हैं।

सुन्दरलाल

80 ए हनुमान रोड नई दिल्ली
१०-१०-४८.

संविधान का हिंदी अनुवाद करने वाले पं0 सुंदर लाल द्वारा संविधान सभा के अध्यक्ष डॉ. राजेन्द्र प्रसाद को लिखा गया पत्र जिसमें उन्होंने गांधी जी के निर्देशानुसार संविधान के अनुवाद में अपनाए गए दृष्टिकोण का खुलासा किया है, दिनांक 10.10.1948

Letter from Pandit Sunderlal who translated Constitution in Hindi to Dr. Rajendra Prasad, Chairman, Constituent Assembly, wherein he mentions guidelines of Gandhiji regarding the translation of the Constitution, 10 December 1948.

भारत के संविधान के हिंदी अनुवाद के लिए श्री जी. एस. गुप्त की अध्यक्षता में बनी विशेषज्ञ अनुवाद समिति के सदस्य भारत के संविधान के हिंदी अनुवाद के हस्ताक्षर-समारोह के अवसर पर, 22 जनवरी 1950

The expert Translation Committee at Council House, New Delhi on 22 January 1950 under the Chairmanship of Shri G.S. Gupta for signing the Hindi translation of the Constitution of India.

विशेष सूचना

देवनागरी राष्ट्र लिपि भवतु] [हिन्दी राष्ट्र भाषा जयतु

देवनागरी अक्षरों में टेलीग्राम प्रणाली

अर्थात्:—

(राष्ट्र-भाषा हिन्दी में "तार" व्यवस्था)

लेखक:— जगन्नाथ पुच्छरत (सारस्वत) हिन्दी सेवी, अमृतसर.

सर्व साधारण नगर निवासियों और विशेष कर व्यापारियों को यह समाचार पढ़ प्रसन्नता हो सकती है कि हमारे छः मास पत्र व्यवहार करने के पश्चात् टेलीग्राफ़ डिपार्टमैण्ट के श्री डायरेक्टर जनरल महोदय ने गत जुलाई मास में अमृतसर में देवनागरी अक्षरों अर्थात् राष्ट्र भाषा (हिन्दी) में टेलीग्राम (तार) भेजने की व्यवस्था कर दी है, तदर्थ धन्यवाद।

अतः सर्व प्रथम हमने राजर्षिः श्री पुरुषोत्तमदास जी टण्डन, श्री मंत्री हिन्दी साहित्य सम्मेलन प्रयाग, तथा श्री मंत्री काशी-नागरी प्रचारिणी सभा, बनारस को बधाई सहित शुभ कामनाएं तार द्वारा भेजी हैं।

और पंजाबी भाषी सज्जन भी पंजाबी भाषा में "तार" भेज लाभ उठा सकते हैं, यथा:— *"भाई बुडसिंह मकड़ अटारी बाजार जालन्धर— "कत्तक दी पूर्णमासी गुरु पुरब दे दिन वंडे काके सुरजीतसिंह दा विवाह नियत होइया है परिवार सहित अमृतसर पुज्जो सुदसिंह मदान"*।

और इसके अतिरिक्त बङ्गला, गुजराती, मराठी, तथा उर्दू आदि भारतीय किसी भी भाषा में "तारें" भेजी जा सकती हैं। किन्तु अक्षर देवनागरी ही होने चाहियें।

हिन्दी में तार देने के नियम

(न्यू दिल्ली से प्रकाशित दैनिक हिन्दुस्तान पत्र में ता० ७ फरवरी १९५० ई० के अंक से उद्धृत)

(१) प्रत्येक शब्द या स्वीकृत संयुक्त शब्द "तार" में एक ही शब्द गिना जायगा, यदि उसमें मात्राओं को छोड़ कर १० दस से अधिक अक्षर न हों, परन्तु केवल स्वर जैसे आज में "आ" एक अक्षर माना जायगा। इसी प्रकार अर्द्ध-व्यंजन जैसे "सस्ता" में एक अक्षर माना जायगा।

(२) ५ पांच या कम अंकों की संख्या के समूह एक एक शब्द गिने जायेंगे।

(३) पूरा क्रिया पद एक शब्द माना जायगा, जैसे 'जारहा है" को एक शब्द गिना जायगा।

(४) विभक्तियों को पृथक नहीं गिना जायगा जैसे "राम का" या "वहां पर" एक शब्द के रूपमें गिने जायेंगे।

(५) टेलीग्राफ़ ऑफिस (तारघर) का नाम एक शब्द गिना जायगा।

और १० दस अक्षरों के समूह का शब्द गिनने की सीमा ३, ४, व ५ वें नियमोंमें भी लागू होगी।

निम्न लिखित नगरों में हिन्दी "तारें" जा सकती हैं :—

(अ) अकोला, अजमेर, अमृतसर अमरावती, अयोध्या, अलवर, अलीगढ़, अहमदनगर, अंबाला। (आ) आगरा, आरा,
(इ) इटावा, इलाहाबाद, (प्रयाग) इन्दौर। (उ) उज्जैन, उन्नाव, उरई।
(क) कटनी, कराद, कलकत्ता, कानपुर, कोल्हापुर। (ग) गया, गाजियाबाद, गोरखपुर, गोंडा।
(च) चन्दौसी, (छ) छपरा, (ज) जब्बलपुर, जमशेदपुर, जयपुर, जलगांव, जामनगर, जालन्धर, जोधपुर, जौनपुर
(झ) झान्सी (ट) टूंडला (ढ) ढोंड (द) दर्भंगा, दिल्ली, देहरादून।
(ध) धनबाद, धौलपुर (न) न्यू दिल्ली, नागपुर, नासिक, नैनीताल।
(प) पंचमढ़ी, पटना, पिलानी, पीलीभीत, पूना, पैढ़ी, (गढ़वाल) प्रतापगढ़।
(फ) फतेपुर, फरीदपुर, फिरोजपुर, फिरोजाबाद, फैजाबाद (अयोध्या)।
(ब) बलिया, बड़ोदा, बनारस (काशी), बरेली, बहेड़ी, ब्यावर, बाराबंकी, बिजनौर, बीकानेर, बीजापुर, बम्बई, बेलगांव।
(भ) भड़ौंच, भरतपुर, भागलपुर, भावनगर, भूसावल। (म) मथुरा, मिर्जापुर, मुगलसराय, मुजफ्फरपुर, मुरादाबाद, मेरठ, मोतीहारी।
(र) रतलाम, राजकोट, राञ्ची, रायपुर, रुड़की, रेवा। (ल) लखनऊ, लहेरिया सराय, लुधियाना। (व) वर्धा।
(श) शाहजहांपुर, शिमला, शोल्हापुर। (स) सतारा, सांगली, सिकन्दराबाद (हैदराबाद), सियोनी, सुरेन्द्रनगर, सूरत, सोनेपुर, संडीला
(ह) हरिद्वार, हाथरस।

नोटः—इस के सम्बन्ध में विशेष ज्ञान (जानकारी) के लिये, श्रीयुत डायरेक्टर जनरल पोस्ट एण्ड टेलीग्राफ़ डिपार्टमैंट न्यू दिल्ली, को पत्र लिख कर प्राप्त करें।

अमृतसर की जनता और विशेषतया व्यापारियों का कर्तव्य

संयुक्त प्रान्तमें कानपुर व्यापार का केन्द्र और व्यवसाय की प्रसिद्ध तथा प्रमुख मण्डी है, गत पूर्व वर्ष मुझे वहां जाने का अवसर हुआ। सैंट्रल टेलीग्राफ़ ऑफिस (बड़े तार घर) प्रयाग को "हिन्दी तार" देने गया तो तार बाबू से ज्ञात हुआ कि यहां से प्रतिदिन केवल ५-७ हिन्दी तारें बुक्क होती हैं और लाइन खाली रहती है. यह जान कर खेद हुआ। अब है कि कहीं अमृतसर में भी वही दशा न प्राप्त हो।

अतः अमृतसर की जनता विशेषतया दलाल और आढ़ति ऐसोसियेशन आदि प्रमुख संस्थाओं के अधिकारियों से सानुरोध आग्रह है कि वह अधिकाधिक संख्या में हिन्दी में ही "तारें" भेज मातृ-भाषा हिन्द के प्रचार में सहायक हो पुण्य के भागी बनें।

और अंगरेजी में जैसे "कोडबुक्क" हैं, वैसे हिन्दी में भी सन् १९०६ ई० में ५१ वर्ष हुए मुलतान निवासी हिन्दी सेवी स्वर्गीय श्री बल्लभदास जी वर्मा ने ४४५ पृष्ठों में "संकेत तार" नामक "कोडबुक" लिख कर प्रकाशित करवाई थी, किन्तु हिन्दी प्रेमियों ने उसका सत्कार ही नहीं किया। इससे उसका दूसरा संस्करण नहीं छपा।

अभी हिन्दी "तारें" भेजने की व्यवस्था सैंट्रल टेलीग्राफ़ ऑफिस (बडे तार घर) में ही है, किन्तु काम अधिक होने पर शहर में ही "तारें बुक" करने का प्रबन्ध हो सकेगा।

जनता का हितैषी:—

प्रकाशक:—

साहित्य सदन
चावल मण्डी
अमृतसर

जगन्नाथ पुच्छरत
भू० पू० मन्त्री नागरी प्रचारिणी सभा अमृतसर

(तुलसी जयन्ती)
सौर प्र० २—५—२०१० वि०।

दृष्टव्यः—वह विज्ञापन रुग्णावस्था अर्थात् हाई ब्लेड प्रैशर की दशा में लिखा गया है अतः इसमें त्रुटियें रहना सम्भव हैं तदर्थ क्षमा प्रार्थी हूं।

पंजाब आयुर्वेदिक प्रेस अकाली मार्केट, अमृतसर में मुद्रित। [प्रथम वार ४००० प्रति

हिंदी में तार दिए जाने की सुविधा की उपलब्धता के संबंध में पंजाब के एक हिंदी प्रेमी द्वारा जारी पैम्फ्लेट

Pamphlet by Hindi lover from Punjab on the facility for sending telegrams in Hindi, 1953.

USE OF HINDI FOR OFFICIAL PURPOSES

Commission to be set up before Jan. 26

NEW DELHI, Dec. 13.

PRESIDENT Rajendra Prasad told a deputation of Members of Parliament, that steps were being taken to appoint a Commission to make recommendations to him, among other things, on the question of the progressive use of Hindi for official purposes of the Indian Union.

This was disclosed today by Seth Govind Das, M.U.P., at a symposium organised by the Hindi Association of Parliament.

Seth Govind Das, who is President of the Association had earlier, along with 16 other M.U.P.s met the President, and submitted a memorandum.

The memorandum urged that the Commission, to be appointed under Article 344 of the Constitution, should comprise the "accredited representatives" of the various Indian languages.

***Article 344 envisages the constitution of a Commission by the President before the expiry of five years from the commencement of the Constitution.

Appointment of Commission

The Commission, consisting of a Chairman, and such other members representing the different languages specified in the Eighth Schedule, would make recommendations to the President, among other things, on the question of the progressive use of Hindi for the official purposes of the Union, and restrictions on the use of English for all, or any of the official purposes of the Union.

Pointing out that the Commission would have to be in existence on Jan. 26, next (on which date the five-year period stipulated in the Article would expire), the memorandum suggested that the Commission might be appointed on that auspicious day itself, and asked to submit its report on Aug. 15, next, at the latest.

The memorandum was signed by Seth Govind Das, President, Parliamentary Hindi Association, SRI N. KESHAVAIENGAR, Her Highness Rajmata Kamalendu Mati Shah, Sri Balakrishna Sharma, Sri N. V. Gadgil, Dr Choithram Gidwani, Dr Raghuvira, SRI A. K. GOPALAN, Sri V. G. Deshpande, Sri S. N. Mazumdar, Sri M. S. Gupta, SRI K. S. RAGHAVACHARI, Sri R. S. Dinkar, Mr Amjad Ali, Sri M. L. Dwivedi, SRI P. D. LAKSHMAYYA, and Sri S. S. Ansari.

Spread of Hindi

The Commission, the memorandum said, might be asked to examine, besides the issues mentioned in the Article, (a) the adequacy, reasonableness, and popularity of any steps taken by the Central or State Governments for the enrichment and spread of Hindi; (b) the steps, if any, taken by any of the State Governments for the adoption of any regional language or languages as its official language, and the results thereof; and (c) the various implications of the transition from English to Indian languages, and, in the light thereof, to suggest the steps and means necessary to effect this transition in the appointed time without any regional friction or undesirable administrative consequences.

राजभाषा हिंदी के प्रयोग के संबंध में सुझाव देने के लिए संविधान के अनुच्छेद 344 के प्रावधान के तहत गठित किए जाने वाले आयोग के संबंध में समाचारपत्र में प्रकाशित सूचना

Newspaper Report regarding the Commission constituted for the propagation of the Official Language under Article 344 of the Constitution.

सत्यमेव जयते

Programme for the Development

and

Propagation of Hindi

1954

Ministry of Education — Government of India

The Constitution has set a limit of fifteen years after which all work of the Central Government will have to be carried on in Hindi instead of English. It will be appreciated that it is no easy matter to substitute one State language by another. The difficulty of the operation is all the greater in the circumstances that face India. On the one hand, it is sought to replace an established language like English by one which has not been used for State administration till now. On the other, there are major Indian languages, beside Hindi, and care has to be taken to allay any suspicion that the development of Hindi may in any way prejudice the growth and development of these languages.

It was therefore necessary to chalk out a planned programme so that when the time came after fifteen years to replace English by Hindi, the change could be effected without any hardship and with complete success. Of the measures necessary for achieving this objective, the two most important are to develop as rapidly as possible terms in science, technology and administration to meet our national requirements and to foster the spread of the language in areas where it is not the mother tongue.

With this object in view, the Education Ministry has planned to cover the fifteen year programme in three stages of five years each. The programme of the first five years has been planned as follows:—

(*i*) Preparation of Hindi technical terms. It is proposed to complete the major portion of this work during this period. It may be mentioned that over sixteen thousand technical terms have been considered and final lists are already in several sciences of which details are given in the body of the Report.

(*ii*) A drive to make Hindi a compulsory subject in Secondary Schools in all non-Hindi speaking areas so that the next generation of educated Indians may be Hindi knowing. It may be mentioned that many States including Assam, Bombay, Coorg, Hyderabad, Saurashtra and Travancore-Cochin have already made Hindi compulsory in the Secondary Stage.

संविधान लागू होने के बाद प्रथम पंद्रह वर्षों के लिए तीन चरणों के तहत हिंदी के विकास व प्रचार के लिए शिक्षा मंत्रालय द्वारा तैयार किए गए कार्यक्रम में से पहले पांच वर्षों के कार्यक्रम का पैम्फ्लेट

PRESS INFORMATION BUREAU

GOVERNMENT OF INDIA

REFERENCE AND RECORD

RAJYA SABHA

OFFICIAL LANGUAGES BILL

HOME MINISTER'S REPLY TO DEBATE

New Delhi, Vaisakha 16, 1885
May 6, 1963

Shri Lal Bahadur, Union Home Minister, made the following speech in the Rajya Sabha today in reply to the debate on the Official Languages Bill:-

"Sir, I somehow feel that I have not much to say as there has been general support lent to this Bill. There has been a thought-provoking discussion and great restraint shown in the speeches, and I am thankful to all the Members of the House for supporting this measure.

Sir, it is clear that the basic proposition that Hindi should be the official language of the Union, as provided in article 343(1), is generally acceptable. In the circumstances, the only question, that remains to be considered is how to implement the change to Hindi without causing any disturbance to those who come from the non-Hindi-speaking areas. I personally think that we will have to adopt a constructive approach to this matter.

On the one hand there will have to be teaching and learning of Hindi done on a good scale. In Government services also, without introduction of compulsion, we have to create conditions in which those in service will willingly and voluntarily learn Hindi, and be prepared to fall in line at some later date when we are in a position to switch over from English to Hindi in accordance with the provisions of the Constitution.

राज्य सभा में राजभाषा बिल पर बहस के बाद तत्कालीन गृहमंत्री श्री लाल बहादुर शास्त्री द्वारा दिए गए भाषण का अंश इसमें उन्होंने बिल को मिले आम समर्थन का जिक्र करते हुए कहा कि इसके कार्यान्वयन में रचनात्मक दृष्टिकोण अपनाए जाने की आवश्यकता है ।

Excerpts taken from Shri Lal Bahadur Shastri's speech delivered after the concluding debate on the Official Language in the Rajya Sabha or Upper House of the Parliament.

REGISTERED No. D. 221

The Gazette of India

EXTRAORDINARY

PART II—Section 1

PUBLISHED BY AUTHORITY

No. 16] NEW DELHI, SATURDAY, MAY 11, 1963/VAISAKHA 21, 1885

MINISTRY OF LAW

(Legislative Department)

New Delhi, the 11th May, 1963/Vaisakha 21, 1885 (Saka)

The following Act of Parliament received the assent of the President on the 10th May, 1963 and is hereby published for general information:—

THE OFFICIAL LANGUAGES ACT, 1963

No. 19 OF 1963

[*10th May*, 1963]

An Act to provide for the languages which may be used for the official purposes of the Union, for transaction of business in Parliament, for Central and State Acts and for certain purposes in High Courts.

BE it enacted by Parliament in the Fourteenth Year of the Republic of India as follows:—

Short title and commencement.

1. (*1*) This Act may be called the Official Languages Act, 1963.

(*2*) Section 3 shall come into force on the 26th day of January, 1965 and the remaining provisions of this Act shall come into force on such date as the Central Government may, by notification in the Official Gazette, appoint and different dates may be appointed for different provisions of this Act.

Definitions.

2. In this Act, unless the context otherwise requires,—

(*a*) "appointed day", in relation to section 3, means the 26th day of January, 1965 and in relation to any other provision of this Act, means the day on which that provision comes into force;

(*b*) "Hindi" means Hindi in Devanagari script.

राजभाषा अधिनियम, 1963 का राजपत्र में प्रकाशन, 11 मई 1963

Official Language Act, 1963 published in the Gazetteer, 11 May 1963.

गृह मंत्री की अध्यक्षता में ११ जुलाई, १९६४ को हिन्दी सलाहकार समिति के कार्यकारी दल की बैठक की कार्यवाही ।

निम्नलिखित व्यक्ति आए :-

(सूची साथ लगी है)

बैठक के आरम्भ में अध्यक्ष महोदय ने २१ अप्रैल, १९६४ को हिन्दी प्रचार-प्रसार में रुचि रखने वाले कुछ संसद-सदस्यों तथा अन्य लोगों के साथ एक अनौपचारिक बैठक का संक्षेप में हवाला देते हुए यह बताया कि उस बैठक में उपस्थित सदस्यों की यह राय थी कि एक ऐसी स्थायी समिति बनाई जाय जो हिन्दी का प्रचार-प्रसार करने और सरकारी काम-काज में उसका उत्तरोत्तर प्रयोग कराने के विषय में सरकार को सलाह दे । तदनुसार २४ जून, १९६४ को एक सरकारी संकल्प द्वारा हिन्दी सलाहकार समिति और कार्यकारी दल का गठन कर दिया गया है । यह जरूरी था कि भविष्य के लिए अच्छी तरह सोच-विचार कर कार्यक्रम तैयार किया जाय । इसके लिए अगर आवश्यक हुआ तो और ज्यादा रुपए-पैसे की व्यवस्था की जा सकती है । हिन्दी के प्रचार-प्रसार के पूरे सवाल पर राष्ट्रीय एकता को ध्यान में रखकर विचार किया जाय । सरकारी निर्णय पर अमल करने में जो रुकावटें आएं, उन्हें दूर किया जाय ।

अध्यक्ष महोदय ने कहा कि इस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए यह जरूरी है कि हिन्दी अध्यापकों को ऊंचे दर्जे की ट्रेनिंग दी जानी चाहिए । इस काम के लिए हमें खूब सोच-विचार कर योजना बनानी चाहिए और उसके लिए समय-सारणी तैयार कर लेनी चाहिए । इसके बाद समय-समय पर इस दृष्टि से उसकी प्रगति का पुनरीक्षण करना चाहिये कि हम कहां तक समय-सारणी का पालन कर पाए हैं । और अगर हम प्रगति न कर पाए हों, अथवा पीछे पड़ गए हों तो उसके कारणों की जांच करनी चाहिए । उन्होंने सुझाव दिया कि हमें उप-समितियां बना लेनी चाहिए जो इस प्रश्न के विभिन्न पहलुओं का अध्ययन करेंगी ।

सेठ गोविन्द दास ने कहा कि कार्यकारी दल का काम-काज चलाने के लिए एक सचिवालय की व्यवस्था की जाय जिसमें सह-सचिव या उप-सचिव के दर्जे का एक अधिकारी उसके काम की देखभाल करे ।

हिंदी प्रचार-प्रसार और सरकारी कामकाज में उसके प्रयोग के बारे में सरकार को सलाह देने के लिए 24 जून 1964 को गठित सलाहकार समिति के कार्यकारी दल की 11 जुलाई 1964 को हुई बैठक की कार्यवाही का अंश ।

Extracts from the Meeting of the Advisory Committee, held on 11 July 1964. This Committee was constituted on 24 June 1964 for the propagation and implementation of Hindi usage in the Government.

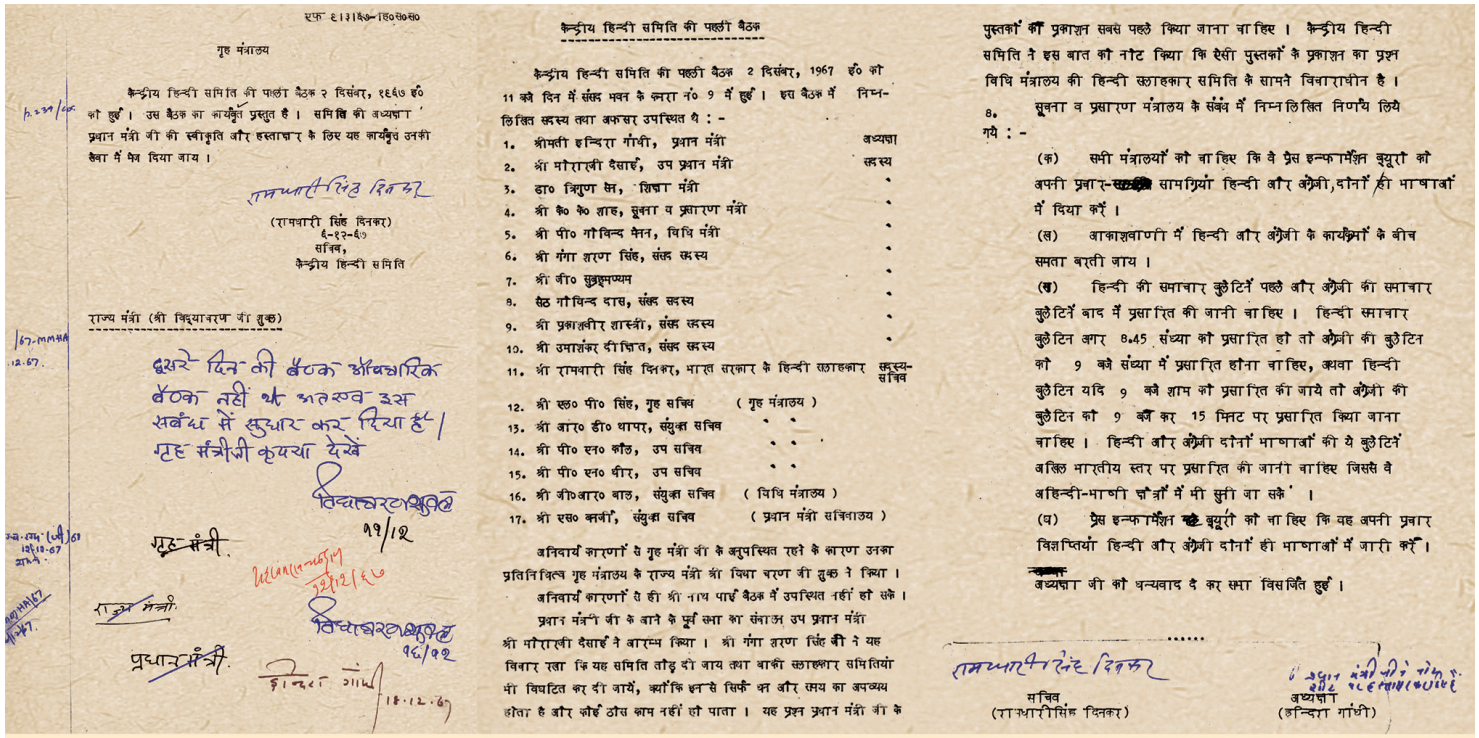

दिनांक 2.12.1967 को केन्द्रीय हिंदी समिति की पहली बैठक में उपस्थित लोगों की सूची तथा उसमें लिए गए कुछ निर्णय

List of participants of the First Central Hindi Committee and certain decisions taken at the Committee's meting, 2 December 1967.

सं० 2/42/68- ओ० एल०

भारत सरकार

गृह मंत्रालय

नई दिल्ली-11 दिनांक 28 श्रावण 1890
19 अगस्त, 1968 ।

कार्यालय ज्ञापन

विषय:- भारत के राजपत्र का हिन्दी तथा अंग्रेजी दोनों भाषाओं में प्रकाशन ।

तारीख 27 अप्रैल, 1960 के राष्ट्रपति के आदेश के अनुसरण में हिन्दी के प्रगामी प्रयोग के लिए तैयार किये गये कार्यक्रम के संबंध में गृह मंत्रालय द्वारा जारी किये गये तारीख 27 मार्च, 1961 के कार्यालय ज्ञापन सं० 16/7/61-ओ० एल० का संदर्भ देते हुए मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उसके पैरा 3(5) के अधीन भारत के राजपत्र के चुने हुए भाग हिन्दी में भी प्रकाशित करने के लिए 1962-63 से प्रबंध किये जाने थे । मंत्रालयों आदि को यह भी सूचित किया गया था कि मुद्रण के नियंत्रक द्वारा हिन्दी की सामग्री की छपाई के लिए समुचित प्रबंध फरीदाबाद प्रेस में कर दिये गये थे, और वे (मंत्रालय) राजपत्र में हिन्दी और अंग्रेजी दोनों में प्रकाशन के लिए सभी सामग्री एक साथ भेजें ।

2. संशोधित राजभाषा अधिनियम की धारा 3(3) के अनुसार संकल्पों, नियमों, अधिसूचनाओं और नोटिसों आदि के लिए हिन्दी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं का प्रयोग अनिवार्य है । इसलिए यह आवश्यक है कि भारत के राजपत्र में प्रकाशन के लिए ऐसी सभी सामग्री दोनों भाषाओं में साथ-साथ भेजी जाये । कानूनी से भिन्न कागजात का अनुवाद पहले के समान ही संबंधित मंत्रालयों । विभागों द्वारा ही किया जायेगा । (पुनरावृत्ति प्रकार की अधिसूचनाओं के अतिरिक्त) सभी कानूनी अधिसूचनाओं और नियमों का अनुवाद विधि मंत्रालय द्वारा उपलब्ध किया जायगा । जिन कानूनी से भिन्न कागजात का मूल आलेखन विधि मंत्रालय के परामर्श से किया गया हो, उनका अनुवाद संबंधित मंत्रालयों द्वारा किया जायगा और विधि मंत्रालय से उनका पुनरीक्षण करा लिया जायगा ।

3. क्योंकि संकल्पों, नियमों, अधिसूचनाओं, नोटिसों आदि का हिन्दी में प्रकाशन सांविधिक रूप से आवश्यक है, इसलिए विधि मंत्रालय आदि से अनुरोध है कि इस आवश्यकता की पूर्ति सुनिश्चित करने के हेतु इस संबंध में आवश्यक प्रबंध किये जायें । भारत के राजपत्र में प्रकाशन के लिए कोई सामग्री केवल अंग्रेजी में स्वीकार न करने के हेतु मुद्रणालयों को अनुदेश जारी करने के लिए मुद्रण तथा लेखन सामग्री के मुख्य नियंत्रक से यथा समय अनुरोध किया जायेगा । केवल औद्योगिक / निर्वाचन अधिकरणों के निर्णयों (भाग III) तथा प्राइवेट पार्टियों द्वारा दिये गये नोटिसों (भाग IV) को ही इस आवश्यकता से छूट होगी ।

(का० प्र० मिश्र)
उप सचिव, भारत सरकार ।

सेवा में,

भारत सरकार के सभी मंत्रालय / विभाग ।
गृह मंत्रालय के सभी अनुभागों को आवश्यक कार्रवाई के लिए प्रति प्रेषित ।

महाराव
19-8-68

भारत के राजपत्र का हिंदी व अंग्रेजी दोनों भाषाओं में प्रकाशन के लिए जारी कार्यालय ज्ञापन 19 अगस्त, 1968

Official Memorandum promulgating the publication of the Gazetteer in both Hindi and English, 19 August 1968.

भारत सरकार के हिन्दी सलाहकार डा० रामधारी सिंह दिनकर की अध्यक्षता में 30 मई, 1970 को हुई बैठक का कार्यवृत्त ।

- - - - - -

Received in the R. & I. (N)
On 8/6
No 1158/B
Typed by
Compared by.

बैठक में निम्नलिखित उपस्थित थे:--------

1. डा० रामधारी सिंह दिनकर,
भारत सरकार के हिन्दी सलाहकार ।

2. श्री अशोक सेन,
संयुक्त सचिव(के०)
गृह मंत्रालय

3. श्री पी०एल०गुप्ता,
अपर विधायी सलाहकार,
विधायी विभाग ।

4. श्री वी०वर्मा,
सचिव,
राजभाषा(विधायी)आयोग।

5. श्री प्रेम नाथ धीर,
उप सचिव(हिन्दी)
गृह मंत्रालय

6. श्री का॰ प्र॰ मिश्र,
उप सचिव(राजभाषा)
गृह मंत्रालय ।

7. श्री बी०पी० सिन्हा,
विशेषाधिकारी(हिन्दी)
विदेश मंत्रालय ।

2. यह बैठक संधियों और करारों के अंग्रेजी पाठ का हिन्दी अनुवाद करने और उसके संशोधन से संबंधित प्रश्न पर विचार करने के लिए आयोजित की गई थी । श्री मिश्र ने संधियों और करारों के अंग्रेजी पाठ तैयार करने के संबंध में वर्तमान पद्धति बताई। इस पद्धति के अनुसार इन कागजातों के अंग्रेजी मसौदे, संबंधित मंत्रालयों/विभागों द्वारा तैयार किये जाते हैं । संधि करने के लिए अपनाई जाने वाली औपचारिकताओं के सम्बन्ध में विदेश मंत्रालय का विधि तथा संधि प्रभाग मंत्रालयों/विभागों को सलाह देता है और अंग्रेजी भाषा में करारों के पाठों का संशोधन भी करता है । उस मंत्रालय में अंग्रेजी के अतिरिक्त किसी

-2-

अन्य विदेशी भाषा के अथवा हिन्दी के कोई भाषा विशेषज्ञ नहीं है ।

3. राष्ट्रपति के आदेशों के अधीन कानूनों आदि के हिन्दी अनुवाद की जिम्मेदारी राजभाषा (विधायी)आयोग की है और विधि मंत्रालय की यह राय थी कि आयोग विभिन्न मंत्रालयों द्वारा की जाने वाली संधियों और करारों के अनुवाद तथा संशोधन से संबंधित नहीं है । फिर भी विधि मंत्रालय तथा आयोग के प्रतिनिधियों ने कहा कि यदि यह निर्णय किया जाए कि यह काम आयोग करे तो उन्हें इसमें कोई आपत्ति नहीं होगी यदि इस उद्देश्य के लिए अपेक्षित कर्मचारी उन्हें मिल जाएं ।

4. विभिन्न मंत्रालयों तथा विभागों के मन्तव्यों पर विचार करते हुए यह तय हुआ है कि संधियों और करारों के अंग्रेजी पाठों का हिन्दी अनुवाद संबंधित मंत्रालयों तथा विभागों द्वारा तैयार किया जाए । इस बात को ध्यान में रखते हुए कि विदेश मंत्रालय के विधि तथा संधि प्रभाग में आवश्यक विशेषज्ञ पहले से ही उपलब्ध हैं और वे इससे संबंधित औपचारिकताओं के बारे में विभिन्न मंत्रालयों तथा विभागों को सलाह देते हैं और संधियों व करारों के अंग्रेजी पाठ को संशोधित भी करते हैं अतः कागजातों के हिन्दी अनुवाद का संशोधन भी उस मंत्रालय द्वारा किया जाना चाहिए और इसके लिए आवश्यक अतिरिक्त कर्मचारी उपलब्ध किये जाएं ।

5. इस कार्य की मात्रा तथा उसके लिए अपेक्षित कर्मचारियों के संबंध में जाँच करने के लिए यह कहा गया कि विदेश मंत्रालय एक वर्ष में विभिन्न मंत्रालयों/विभागों द्वारा की जाने वाली संधियों तथा करारों तथा उनके पाठों के पृष्ठों की संख्या से संबंधित सूचना एकत्रित करेगा । इस आधार पर वे हिन्दी अनुवाद के संशोधन के लिए कितने कर्मचारियों की आवश्यकता होगी, इसका निर्णय होगा।

6. यह भी तय हुआ है कि विदेश मंत्रालय संधियों और करारों में प्रयोग होने वाले सामान्य वाक्यांशों की एक विस्तृत सूची तैयार करेगा । विदेश मंत्रालय के विशेषाधिकारी(हिन्दी) ने बताया कि उनके अधीन अनुसंधान अधिकारी द्वारा यह कार्य किया जा सकता है । जब यह सूची संकलित हो जाएगी तो राजभाषा (विधायी)आयोग को भेजी जाएगी जो उन वाक्यांशों के हिन्दी रूपान्तर उपलब्ध करेंगे । इसके पश्चात् यह संकलन विदेश मंत्रालय के विधि तथा संधि प्रभाग द्वारा छपवा कर सभी मंत्रालयों/विभागों को उनके अनुवादकों की सहायता और मार्गदर्शन के लिए भेजा जाएगा ।

सं० 8/56/68-रा०भा०
भारत सरकार
गृह मंत्रालय

भारत सरकार के हिंदी सलाहकार डॉ. रामधारी सिंह दिनकर की अध्यक्षता में 30 मई, 1970 को हुई बैठक के कार्यवृत्त का अंश ।

Extracts from the proceedings of the meeting held under the Chairmanship of Ramdhari Singh 'Dinkar' Hindi Advisor to the Government of India on 30 May 1970.

परिपत्र संख्या — 17

सं० 11015/57/72-रा०भा०
भारत सरकार
गृह मंत्रालय

नई दिल्ली-1,

कार्यालय ज्ञापन

विषय:- भारत संघ की राजभाषा - आदेशों का कार्यान्वयन - अहिन्दी-भाषी क्षेत्रों में स्थित कार्यालयों में राजभाषा कार्यान्वयन समितियों का गठन।

~~अधो हस्ताक्षरी~~ को यह कहने का निदेश हुआ है कि गृह मंत्रालय द्वारा समय-समय पर जारी किए गए अनुदेशों के अनुसरण में प्रत्येक मंत्रालय/विभाग, उनके संबद्ध व अधीनस्थ कार्यालयों और हिन्दी-भाषी क्षेत्रों में स्थित विभागों के मुख्य कार्यालयों में राजभाषा कार्यान्वयन समितियां स्थापित होनी अपेक्षित हैं। हिन्दी के प्रयोग के बारे में समय-समय पर जारी किए गए गृह मंत्रालय के अनुदेशों तथा हिन्दी शिक्षण योजना के अधीन कर्मचारियों के हिन्दी में प्रशिक्षण संबंधी अनुदेशों के कार्यान्वयन में हुई प्रगति की समीक्षा हेतु इन समितियों की प्रत्येक तिमाही में एक बार बैठक होती है। मंत्रालयों और विभागों में कार्य कर रही कार्यान्वयन समितियों के कार्यवृत्तों की प्रतिलिपियां संवीक्षा व अनुवर्ती कार्रवाई के लिए गृह मंत्रालय को भेजी जाती हैं और स्थापित समितियों के कार्यवृत्त संबद्ध व अधीनस्थ कार्यालयों में संबंधित मंत्रालयों/विभागों को भेजे जाने चाहियें। अहिन्दी-भाषी क्षेत्रों में स्थित कार्यालयों में राजभाषा कार्यान्वयन समितियों की स्थापना के बारे में स्थिति का पुनरीक्षण किया गया है और यह निर्णय किया गया है कि ऐसी समितियां इन कार्यालयों में भी स्थापित की जायें। किन्तु इन समितियों की गतिविधियां निम्नलिखित कार्यों तक सीमित रहेंगी - (i) हिन्दी शिक्षण योजना के अधीन हिन्दी में कर्मचारियों के प्रशिक्षण के बारे में गृह मंत्रालय के अनुदेशों के कार्यान्वयन का पुनरीक्षण करना। और (ii) यह सुनिश्चित करना कि हिन्दी, हिन्दी टंकण व हिन्दी आशुलेखन प्रशिक्षण लेने के लिये कर्मचारियों को उपयुक्त संख्या में छोड़ा जाय। इन समितियों की स्थापना के कुछ समय बाद उनके संचालन से प्राप्त अनुभव के संदर्भ में उनके कार्य का पुनरीक्षण किया जायगा।

अत: वित्त मंत्रालय आदि से अनुरोध है कि वे अहिन्दी-भाषी क्षेत्रों में स्थित अपने प्रशासनिक नियंत्रण के अधीन कार्यालयों को उपयुक्त अनुदेश जारी करें, कि वे अपने यहां कार्यान्वयन समितियों की स्थापना यथाशीघ्र करें।

-2-

उनके द्वारा इस विषय पर जारी किए गए अनुदेशों की प्रतिलिपि सूचनार्थ इस मंत्रालय को भी भेजी जाए।

(सुधाकर द्विवेदी)
निदेशक (रा०भा०)

सेवा में,

1. भारत सरकार के सभी मंत्रालय/विभाग
2. भारत के नियंत्रक व लेखाकार कार्यालय, नई दिल्ली।
3. चुनाव आयोग, नई दिल्ली।
4. गृह मंत्रालय के सभी संबद्ध व अधीनस्थ कार्यालय।
5. गृह मंत्रालय के सभी नियमित अनुभाग।
6. उप सचिव (हिन्दी) के निजी सहायक।
7. हिन्दी अधिकारी, गृह मंत्रालय।

हिंदी से इतर भाषिक क्षेत्र के कार्यालयों में राजभाषा कार्यान्वयन समिति के गठन के संबंध में निकाला कार्यालय ज्ञापन, दिनांक 30 दिसम्बर 1972

Official memorandum relating to the Constitution of Official Language Implementation Committee in non-Hindi speaking areas of the country, 30 December 1972.

तार: RESERVBANK
Telegrams: भारतीय रिज़र्व बैंक
टेलीफोन: केन्द्रीय कार्यालय
Telephone 268311 बैंकिंग परिचालन और विकास विभाग
बम्बई 400001।

RESERVE BANK OF INDIA
CENTRAL OFFICE
DEPARTMENT OF BANKING OPERATIONS
AND DEVELOPMENT
BOMBAY 400001

संदर्भ डीबीओडी.सं.हिन्दी बीसी.59 /सी.486-76 मई 22, 1976 ज्येष्ठ 1, 1898(शक)

Ref. DBOD.No.Hin.BC. 59 /C.486-76 May 22, 1976 Jyaistha 1,1898(S)

सरकारी क्षेत्र के सभी बैंक

All public sector banks

प्रिय महोदय,

Dear Sir,

आधिकारिक पत्रादि पर हिन्दी में हस्ताक्षर

जैसा कि आपको विदित ही है, बैंकों के अधिकारियों और कर्मचारियों को, यदि वे चाहें तो, आधिकारिक पत्रादि पर हिन्दी में हस्ताक्षर करने की अनुमति दी गई है। इस संबंध में यह शर्त लगायी गयी है कि यदि पत्रादि वित्तीय स्वरूप के हों तो उन्हें केवल एक लिपि में हस्ताक्षर करने होंगे (दिनांक 23 अप्रैल 1973 के हमारे परिपत्र डीबीओडी.सं.जीसीएस.बीसी.39/सी.486-73 के साथ आपके नाम प्रेषित दिनांक 8 फ़रवरी 1973 का गृह मंत्रालय का कार्यालय ज्ञापन सं.ई. 11015/27/72-रा.भा. देखिए।) हमारा आपसे अनुरोध है कि आप कृपया इस बात की हमें सूचना दें कि क्या उपर्युक्त अनुदेश संबंधित सभी पक्षों को परिचालित कर अमल में लाया गया है।

कृपया इसपर तत्काल कार्रवाई की जाय।

भवदीय

यी-एम-कुरीयन

सहायक मुख्य अधिकारी

Signature in Hindi on official documents

As you are aware, the officers and staff of banks have been permitted to sign official documents in Hindi, if they so desire, subject to the stipulation that in case the document is of a financial nature, they must sign in only one script. (vide Home Ministry's O.M.No.E.11015/27/72-OL dated 8th February 1973 forwarded to you under cover of our circular letter DBOD.No.GCS.BC.39/C.486-73 dated 23rd April 1973). We shall be glad if you will please let us know whether the instructions as above have been circulated to all concerned and brought into force.

This may kindly be treated as urgent.

Yours faithfully,

Assistant Chief Officer.

बैंकों में आधिकारिक पत्रादि पर अधिकारियों व कर्मचारियों द्वारा हिंदी में हस्ताक्षर की अनुमति से संबंधित पत्र, दिनांक 22 मई 1976

Letter allowing all Bank employees to record their signature in Hindi, 22 May 1976

लोकसभा पटल पर रखा जाने वाला कागज

अधिप्रमाणित

ओम मेहता

नई दिल्ली

तारीख अगस्त, 1976

(ओम मेहता)
गृह राज्य मंत्री

(भारत के राजपत्र के भाग-II खण्ड 3 उपखण्ड 1 में 17-7-1976 को प्रकाशित)

भारत सरकार
राजभाषा विभाग

नई दिल्ली 110001 दिनांक 28 जून, 1976
7 आषाढ़, 1898

अधिसूचना

सा.का.नि. 1052. केन्द्रीय सरकार, राजभाषा अधिनियम, 1963 (1963 का 19) की धारा 3 की उपधारा (4) के साथ पठित, धारा 8 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :--

1. संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारम्भ :- (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम राजभाषा (संघ के शासकीय प्रयोजनों के लिए प्रयोग) नियम, 1976 है ।

(2) इन नियमों का विस्तार, तमिलनाडु राज्य के सिवाय सम्पूर्ण भारत पर होगा ।

(3) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे ।

2. परिभाषाएं :- इन नियमों में, जब तक कि प्रसंग से अन्यथा अपेक्षित न हो, -

(क) `अधिनियम' से राजभाषा अधिनियम, 1963 (1963 का 19) अभिप्रेत है ;

(ख) `केन्द्रीय सरकार के कार्यालय' में निम्नलिखित भी सम्मिलित है, अर्थात् -

(i) केन्द्रीय सरकार का कोई मंत्रालय, विभाग या कार्यालय ;

(ii) केन्द्रीय सरकार द्वारा नियुक्त आयोग, समिति या अभिकरण का कोई कार्यालय ; और

(iii) केन्द्रीय सरकार के स्वामित्व में के या नियंत्रण में के किसी निगम या कम्पनी का कार्यालय;

(ग) `कर्मचारी' से केन्द्रीय सरकार के कार्यालय में नियोजित कोई व्यक्ति अभिप्रेत है;

(घ) `अधिसूचित कार्यालय' से नियम 10 के उपनियम (4) के अधीन अधिसूचित कार्यालय अभिप्रेत है;

(ङ) `हिन्दी में प्रवीणता' से नियम 9 में यथावर्णित प्रवीणता अभिप्रेत है;

अनुवाद

20-2-87

Deputy Legislative Counsel

Company Affairs

अधिप्रमाणित

[बूटा सिंह]
गृह मंत्री

1987 का विधेयक संख्यांक 8

[कांस्टीट्यूशन (फिफ्टी सिक्स्थ अमेंडमेंट) बिल, 1987 का हिन्दी अनुवाद]

संविधान (छप्पनवां संशोधन) विधेयक, 1987

भारत के संविधान का और संशोधन करने के लिए विधेयक

भारत गणराज्य के अड़तीसवें वर्ष में संसद् द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :—

संक्षिप्त नाम ।

1. इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम संविधान (छप्पनवां संशोधन) अधिनियम, 1987 है ।

भाग 22 के शीर्षक का संशोधन ।

2. संविधान के भाग 22 के शीर्षक में "प्रारंभ" शब्द के पश्चात् "हिन्दी में प्राधिकृत पाठ" शब्द अंतःस्थापित किए जाएंगे ।

नए अनुच्छेद 394क का अंतःस्थापन ।

3. संविधान के अनुच्छेद 394 के पश्चात् निम्नलिखित अनुच्छेद अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

हिन्दी भाषा में प्राधिकृत पाठ ।

"394क. (1) राष्ट्रपति,——